मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 1034/2364/18–2/2020/ भोपाल, दिनांक 19-3-2020

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः–14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित नगरीय निकाय अनुदान के वितरण/उपयोग बावत् दिशा–निर्देश।

संदर्भः–संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 के पत्र क. चार/लेखा/14वां वि.आ.(1)/2015–16/12164 भोपाल, दिनांक 2.09.2015

14वें वित्त आयोग द्वारा अवधि वर्ष 2015–16 से 2019–2020 तक नगरीय निकायों के लिये निम्नांकित अनुदान अनुशंसित किये गये है :–

1. बेसिक ग्रांट (वर्ष 2015–16 से 2019–2020 तक)
2. परफॉरमेंस ग्रांट (वर्ष 2016–17 से 2019–2020 तक)

14वें वित्त आयोग द्वारा जारी बेसिक अनुदान तथा परफॉरमेंस अनुदान का अनुपात 80:20 का होगा, अर्थात 80 प्रतिशत बेसिक अनुदान तथा 20 प्रतिशत परफॉरमेंस अनुदान नगरीय निकायों को उक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के रिपोर्ट के आधार पर वितरित करेंगे, और यदि राज्य वित्त आयोग का फार्मूला उपलब्ध नहीं है तक तक अनुदान का 90 प्रतिशत राशि 2011 की जनगणना के आधार पर एवं 10 प्रतिशत राशि क्षेत्रफल को आधार मानकर वितरित की जा रही है।

14वें वित्त आयोग से विमुक्त बेसिक अनुदान और परफॉरमेंस अनुदान की राशि के उपयोग के लिये कार्यों की प्राथमिकता का क्रम में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

(1) पेयजल ।
(2) सीवरेज तथा नाली निर्माण ।
(3) सडक निर्माण एवं मरम्मत तथा अन्य अधोसंरचना विकास ।
(4) गंदी बस्तीयों में अधोसंरचना निर्माण ।
(5) ठोस उपशिष्ट प्रबंधन ।
(6) ई–गवर्नेंस तथा शहरी सुधार ।
(7) अग्निशमन सेवायें।

निरंतर.....02

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(8) राज्य तथा केन्द्र शासन की योजनायें जिनमें निकाय को अंशदान प्रदान करना है, जैसे AMRUT, UIDSSMT, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना इत्यादि में निकाय अंशदान।

(9) नगरीय निकायों की अन्य शासकीय विधिक देयताएं जैसे अंकेक्षण शुल्क, लंबित विद्युत देयक, जल संसाधन विभाग के लंबित देयक इत्यादि का भुगतान ।

राशि का उपयोग उपरोक्तानुसार बिंदु 1 से 9 में अंकित कार्यों के लिये यथासंभव प्राथमिकता क्रम में किया जायेगा ।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित।)

19/11/20

(डॉ. सुषमा दुबे)
वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृष्ठांक्रमांक ~~क्रमांक~~ 1035/2364/18–2/2020/ भोपाल, दिनांक 19.3.2020

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय–निर्माण भवन नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर,प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.। नगरीय निकायों को 14वें वित्त आयोग अनुशंसित अनुदान की राशि के उपयोग बावत् मॉनिटरिंग सतत् रूप से सुनिश्चित की जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र उनके क्षेत्र की निकायों से प्राप्त कर संकलित रूप से प्रतिहस्ताक्षरोपरांत संचालनालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।

19/11/2020

वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner